

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता  
( आय-व्ययक अनुभाग )  
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०।

पत्रांक-जी-1565/आई०बी०/अन्तरण/अनु०-94/पूजीलेखा

लखनऊ दिनांक: 17 दिसम्बर, 2024

**कार्यालय-ज्ञाप**

उत्तर प्रदेश शासन, वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1/2022/ए-2-06/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 08-01-2022 के क्रम में संयुक्त सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9, उ०प्र०शासन के पत्र संख्या-100/22-27-सि-65एसएवी/21, दिनांक 07-02-2022 द्वारा सी०सी०एल० प्रणाली को समाप्त कर कोषागार प्रणाली लागू किये जाने एवं शासन के पत्र संख्या-2259/23-27-सि०-9-38एसएवी/22 दिनांक 06.11.23 के बिन्दु संख्या-02(क) एवं 02(ख) द्वारा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा बजट आवंटन एवं आनलाईन फीडिंग/अन्तरण हेतु धन की मांग के क्रम में सम्बन्धित खण्ड को निम्नानुसार अंकित विवरण के अनुसार व्यय हेतु सर्वर पर आनलाईन फीडिंग/ अन्तरण हेतु विवरण निम्नानुसार है:-

मु०अभि(नलकूप-वाराणसी) वाराणसी।						(आकड़ें लाख ₹० में)		
क्र० सं०	परियोजना का नाम	लेखा शीर्षक	शासकीय पत्र का संदर्भ	सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता का संदर्भ	खण्ड का नाम/आहरण एवं वितरण अधि० एवं डी० डी० ओ० कोड	कोषागार/जनपद	धनराशि	अभियन्ता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जनपद-प्रयागराज खण्ड-मेजा स्थित लोहरा पम्प नहर (35 क्यूसेक) के आधुनिकीकरण की परियोजना।	94-4702-101-03-0301-24	159/2024/2850/24-500-27-10002(002)/41/2023-10, दिनांक-27-11-2024	मुख्य अभियन्ता (नलकूप-वाराणसी) वाराणसी के पत्रांक-9382/मुअनवा/बी-1, दिनांक-07-12-2024	लघु डाल नहर खण्ड, प्रयागराज। 4819	प्रयागराज	38.38	
कुल योग: 0301							38.38	

(₹० अडसीस लाख अडतीस हजार मात्र )

अखिलेश कुमार  
प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं विभागाध्यक्ष।

**पत्रांक-जी-1565/(1)/आई०बी०/तददिनांक:**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 14- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-प्रथम/द्वितीय) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 15- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 16- संयुक्त सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 17- मुख्य अभियन्ता स्तर-1 पूर्वी क्षेत्र सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 18- मुख्य अभियन्ता (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 19- मुख्य अभियन्ता (नलकूप-वाराणसी) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, वाराणसी।
- 20- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि मुख्य अभि०(नलकूप वाराणसी) के पत्रांक के क्रम में, उक्तानुसार तालिका के अनुरूप अन्तरण की कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- 21- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), कार्यालय प्रमुख अभि० सि० वि० उ०प्र० लखनऊ।
- 22- अधीक्षण अभियन्ता (कम्प्यूटर-केन्द्र) सि० एवं जल सं० विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
- 23- संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, सि० एवं जल सं० विभाग, उ०प्र०।
- 24- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सि० एवं जल सं० विभाग, उ०प्र०।
- 25- स्टाफ अधिकारी (बजट) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 26- कट फाईल हेतु।

Rakesh Yadav  
(राकेश यादव)

मुख्य अभियन्ता (बजट)  
कृते प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं विभागाध्यक्ष।

17/12/24